

**कार्यालय प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय, कराहल जिला-श्योपुर (म.प्र.)**

क्रमांक/ 50 / पुस्तकालय/2019

कराहल, दिनांक 03.12.2019

**स्टेशनरी क्रय करने हेतु संशोधित द्वितीय निविदा आमंत्रण सत्र 2019-20**

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदाय हेतु हितग्राही मूलक निःशुल्क स्टेशनरी योजना-नगमंत रू. 500 प्रति विद्यार्थी की दर से स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा निम्न विवरण के साथ दिनांक 18.12.2019 को सायं 05 बजे तक महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट या किसी भी माध्यम से प्राप्त होना अनिवार्य है। म0प्र0 ग्रामीण बैंक ब्रांच कराहल जिला-श्योपुर में महाविद्यालय के खाते में 200/- रू. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कर महाविद्यालय से कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

सामग्री का विवरण :-

क्र.	सामग्री	दर प्रति नग	जीएसटी की दर
1.	लेमिनेटेड रजिस्टर साइज 8"x11.5" 200 पृष्ठ कवर सहित आरियेन्ट पेपर		
2.	लेमिनेटेड रजिस्टर साइज 8"x11.5" 180 पृष्ठ कवर सहित आरियेन्ट पेपर		
3.	लेमिनेटेड रजिस्टर साइज 8"x11.5" 96 पृष्ठ कवर सहित आरियेन्ट पेपर		
4.	लेमिनेटेड रजिस्टर साइज 8"x11.5" 48 पृष्ठ कवर सहित आरियेन्ट पेपर		
5.	बाल पेन (सेली)		
6.	स्टील रकैल		

महत्वपूर्ण शर्त :-

- लिफाफे पर निःशुल्क स्टेशनरी हेतु निविदा सत्र 2019-20 अवश्य लिखें। स्टेशनरी का प्रदाय शासकीय महाविद्यालय कराहल जिला- श्योपुर में करना होगा।
- महाविद्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा प्रपत्र में ही दरें प्रस्तुत करें। अन्य प्रकार से सामग्री दरें दिये जाने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- कागज का सैम्पल महाविद्यालय में देखकर ही निविदा प्रस्तुत करें। निविदा के साथ कागज के नमूने हस्ताक्षरित एवं सील के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- निविदाकार द्वारा नमूने के अनुसार गुणवत्ता वाली सामग्री, समय सीमा में प्रदाय न करने पर आवेश स्वतः निरस्त माना जावे।
- फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। निविदा में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करे।
- भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वार ग्लोबल बजट प्राप्त होने पर ही किया जावेगा। भुगतान ई-पेमेंट से होगा। अतः बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड देयक पर अंकित होना अनिवार्य है।
- विद्यार्थियों को 500/-रू. मूल्य की स्टेशनरी की किट (सेट) बनाकर आपूर्ति करना होगी।
- क्रय सम्बन्धी सभी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेंगे। किसी भी स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(डॉ० विपिन बिहारी शर्मा)  
प्रशासनिक अधिकारी,  
शासकीय महाविद्यालय, कराहल  
जिला-श्योपुर (म0प्र0)

(डॉ० एस0डी0 राजौर)  
प्राचार्य  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
कराहल, श्योपुर (म0प्र0)

पु0क्र0/ 51 / स्या0/2019 कराहल दिनांक 03.12.2019  
प्रतिलिपि-

- आयुक्त, उच्चशिक्षा, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, गोपाल की ओर सूचनाार्थ।
- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय आयुक्त, उच्चशिक्षा, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन गोपाल की ओर भोटल पर प्रदर्शन हेतु

(डॉ० विपिन बिहारी शर्मा)  
प्रशासनिक अधिकारी  
शासकीय महाविद्यालय, कराहल  
जिला-श्योपुर (म0प्र0)

(डॉ० एस0डी0 राजौर)  
प्राचार्य  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
कराहल, श्योपुर (म0प्र0)